

**हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नार्थ ईस्ट एण्ड हिमालयन स्टेट्स (HMNEH) योजनान्तर्गत**  
**मार्गनिर्देशिका-2014 के अनुसार एन्टी बर्ड/एन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक**  
**मल्व शीट (Plastic Mulch Sheet) के मूल उत्पादक फर्मो/कम्पनियों के पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तें व**  
**नियम**

**अ) पंजीकरण हेतु सामान्य शर्तें**

- 1) बागवानी मिशन योजनान्तर्गत एन्टी बर्ड / एन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्व शीट (Plastic Mulch Sheet) घटकों हेतु मूल उत्पादक फर्मो/कम्पनियों से पंजीकरण हेतु आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं।
- 2) फर्म/कम्पनी को पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म मूल्य रू0 2290/- (रूपये दो हजार दो सौ नब्बे मात्र) में उपलब्ध होगा। फार्म कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून से प्रत्येक कार्य दिवस में नगद धनराशि जमा कर दिनांक 13.06.2017 की सांय 05:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं, जिन्हें मुहर बन्द लिफाफे में दिनांक 14.06.2017 को दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में जमा किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों को दिनांक 14.06.2017 को ही अपराह्न 02:00 बजे विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा खोला जायेगा। फार्म क्रय सम्बन्धी विभागीय रसीद (डी-2) या प्रपत्र का मूल्य रू0 2290/- (रूपये दो हजार दो सौ नब्बे मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो, निदेशक, बागवानी मिशन, देहरादून, उत्तराखण्ड के पक्ष में देय हो, को आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा फर्म/कम्पनी के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 3) लिफाफे के ऊपर "एन्टी बर्ड / एन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं/अथवा प्लास्टिक मल्व शीट हेतु (Plastic Mulch Sheet) हेतु आवेदन" अवश्य अंकित किया जाय।
- 4) पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म को बागवानी मिशन की वेबसाईट [www.shm.uk.gov.in](http://www.shm.uk.gov.in) या [www.horticultureutrakhand.org](http://www.horticultureutrakhand.org) से भी डाउनलोड किया जा सकता है, जिसे जमा करने हेतु रू0 2290/- (रूपये दो हजार दो सौ नब्बे मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के नाम देय हो, संलग्न करना होगा। वेबसाईट से डाउनलोड किये गये आवेदन फार्म अथवा क्रय किये गये आवेदन फार्म किसी अन्य फर्म/कम्पनी को न तो विक्रय किया जा सकेगा न ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा।
- 5) किसानों को निर्माण उपरान्त सेवा आसानी से प्राप्त कराने के उद्देश्य से फर्म/कम्पनी का कार्यालय अथवा डीलर उत्तराखण्ड राज्य में होना आवश्यक है।
- 6) यदि निर्माता फर्म/कम्पनी देश के बाहर की हैं तो उनके द्वारा देश में Authorized Dealership ली गई हो, जिससे उक्त फर्म/कम्पनी देश में कार्य कर सकती है। इस स्थिति में सम्बन्धित फर्म/कम्पनी को इस आशय का प्रमाण पत्र जो कि मूल विनिर्माता द्वारा दिया गया हो, पंजीकरण प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 7) कास्तकार उक्त सन्दर्भित कार्यों हेतु विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त अपनी स्वेच्छा से विभाग में पंजीकृत किसी भी फर्म/कम्पनी से कार्य करा सकता है।
- 8) फर्म/कम्पनी का वाणिज्य कर हेतु पंजीकरण व निर्माण उपरान्त सेवा की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है।
- 9) पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ता/निर्माता, फर्म/कम्पनी को केन्द्रीय/राज्य व्यापार कर में पंजीकृत होना अनिवार्य है। साथ ही पंजीकरण प्रमाण पत्र, वैट एवं आयकर पैन कार्ड की छायाप्रति फार्म के साथ संलग्न करनी होगी।
- 10) पंजीकरण के पश्चात् यदि पंजीकृत फर्म/कम्पनी के साथ विवाद की स्थिति में फर्म/कम्पनी को निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड का फैसला अन्तिम रूप से मान्य होगा।
- 11) पंजीकरण की वैधता तिथि 31.03.2022 तक होगी।



- 12) भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/इयूटिज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोतरी/परिवर्तन किया जाता है, तो पंजीकृत फर्म के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध करायेगें।
- 13) विभाग की आवश्यकतानुसार पंजीकरण व्यवस्था को किसी भी समय नवीनीकरण अथवा समाप्त किया जा सकता है।
- 14) यदि फर्म के मानक सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की वैधता तिथि 31.03.2022 से पूर्व समाप्त होती है तो फर्म को नवीनीकृत पंजीकरण के प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी अन्यथा फर्म का पंजीकरण समाप्त कर दिया जायेगा।
- 15) फर्म/कम्पनी द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विभाग को मूल बिल-वाउचर प्रस्तुत करते हुए विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर लिये जाने के उपरान्त सीधे किसान को एकाउन्ट पेई बैंक से राजसहायता का भुगतान किया जायेगा। कास्तकार के लिखित अनुरोध करने पर राजसहायता की धनराशि एकाउन्ट पेई बैंक से फर्म/कम्पनी को किया जा सकेगा।
- 16) कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकरण की शर्तों/नियमों में तदनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।
- 17) फर्म/कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई भी जानकारी यदि पंजीकरण की अवधि के दौरान असत्य पाई गई तो फर्म/कम्पनी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी। सत्यता के सम्बन्ध में ₹0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
- 18) एन्टी बर्ड / एन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं/अथवा प्लास्टिक मल्वशीट (Plastic Mulch Sheet) के पंजीकरण हेतु दी गई दरों के सम्बन्ध में फर्म द्वारा अन्य राज्यों या संस्थाओं को की गई आपूर्ति की दरों से अधिक नहीं होने सम्बन्धी ₹0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
- 19) आवश्यक अभिलेख:-
  - i. फर्म/कम्पनी को प्रपत्र-1 पर एन्टी बर्ड / एन्टी हेल नेट हेतु (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्वशीट (Plastic Mulch Sheet) की दर अंकित कर संलग्न करनी होगी।
  - ii. फर्म/कम्पनी का कार्यालय अथवा डीलर के उत्तराखण्ड राज्य में स्थित होने का प्रमाण।
  - iii. देश से बाहर की फर्म/कम्पनी होने पर उनकी देश में Authorized Dealership का प्रमाण एवं Certificate of Importer - Exporter Code (IEC) का प्रमाण संलग्न करना होगा।
  - iv. सम्बन्धित घटक के अनुभव का प्रमाण।
  - v. 01 वर्ष की गारन्टी/वारन्टी का प्रमाण।
  - vi. फर्म/कम्पनी की प्रोफाईल संलग्न करनी होगी, जिसमें फर्म/कम्पनी के कार्यालय का पता, फर्म/कम्पनी के स्वामी का नाम, फर्म/कम्पनी के निदेशक, फर्म/कम्पनी के साझेदारों का नाम अंकित हो।
  - vii. फर्म/कम्पनी का टिन एवं पैन नम्बर की छायाप्रति।
  - viii. फर्म/कम्पनी के पंजीकरण के प्रमाण की छायाप्रति।

## ब) पंजीकरण हेतु अन्य आवश्यक शर्तें

### i) एन्टी बर्ड / एन्टी हेल नेट हेतु (Anti Bird / Anti Hail Net)

1. एन्टी हेल नेट/बर्ड नेट का आवश्यक होने पर Quality Assurance हेतु CIPET से जाँच कराई जा सकती है।
2. एन्टी हेल नेट/बर्ड नेट के नमूने आवेदन के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक है।



3. फर्म/कम्पनी द्वारा कास्तकार को एन्टी हेल नेट/बर्ड नेट लगाने के तरीकों की पूर्ण जानकारी निशुल्क प्रदान करनी होगी।
4. प्रदेश के समस्त जनपदीय कार्यालयों में समान दर से आपूर्ति करनी होगी।
5. एन्टी हेल नेट/बर्ड नेट स्थापना की तिथि से 01 वर्ष तक निःशुल्क अनुरक्षण करना होगा।
6. एन्टी हेल नेट/बर्ड नेट मजबूत व टिकाऊ यू0वी0 stabilized मोनाफिलामेन्ट (69/70 GSM) धागों से निर्मित होना चाहिए।
7. एन्टी हेलनेट/बर्ड नेट हेतु फर्म/कम्पनी को पंजीकरण के उपरान्त रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) की बैंक गारन्टी या सावधि जमा रसीद जो निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड के नाम बन्धक हो तथा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से देय हो, उपलब्ध करानी होगी, जिसकी वैधता दिनांक 31.03.2022 तक होनी चाहिये।

**ii) प्लास्टिक मल्वशीट हेतु (Plastic Mulch Sheet)**

1. फर्म/कम्पनी द्वारा कास्तकार को प्लास्टिक मल्व लगाने/बिछाने के तरीकों की पूर्ण जानकारी निशुल्क प्रदान करनी होगी।
2. प्लास्टिक मल्वशीट के नमूने आवेदन के साथ उपलब्ध कराने आवश्यक हैं।
3. प्रदेश के समस्त जनपदीय कार्यालयों में समान दर से आपूर्ति करनी होगी।
4. फसल की आवश्यकतानुसार 20, 25, 30, 50, 75, 100, 150 व 200 में से उपयुक्त माइक्रोन थिकनेस के U.V. stabilized प्लास्टिक मल्व की आपूर्ति करनी होगी।
5. कास्तकारों की मांगानुसार प्लास्टिक मल्व की आपूर्ति Black, Black & White and Black & Silver रंग में से किसी भी रंग की जायेगी।
6. फर्म/कम्पनी को पंजीकरण के उपरान्त रू0 50,000/ (रूपये पचास हजार मात्र) की बैंक गारन्टी/सावधि जमा रसीद जो कि निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड के नाम बन्धक हो, उपलब्ध करानी होगी, जिसकी वैधता दिनांक 31.03.2022 तक होनी अनिवार्य है।

अनुमन्य अधिकतम लागत एवं देय राज सहायता का विवरण:-

क्र0 सं0	घटक	इकाई	अनुमन्य लागत (रू0 में)	देय राज सहायता (रू0 में)
<b>i) Anti Bird / Anti Hail Nets</b>				
1.	Anti Bird / Anti Hail Nets	Sqm	35.00	17.50
<b>ii) Plastic Mulching</b>				
1.	Plastic Mulching			
i.	For Plain areas	Ha	32,000.00	16,000.00
ii.	For Hilly areas	Ha	36,800.00	18,400.00





हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नार्थ ईस्ट एण्ड हिमालयन स्टेट्स (HMNEH) योजनान्तर्गत  
मार्गनिर्देशिका-2014 के अनुसार एन्टी बर्ड/एन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक  
मल्वशीट (Plastic Mulch Sheet) घटकों के मूल उत्पादक फर्मों/कम्पनियों की दरों हेतु प्रारूप

विभागीय कैश रसीद/बैंक ड्राफ्ट संख्या:- .....  
धनराशि:- ₹2290/-

दिनांक:- .....

क्र० सं०	घटक	इकाई	दर समस्त कर सहित (₹ में)
<b>i) Anti Bird / Anti Hail Nets</b>			
1.	Anti Bird / Anti Hail Nets	Sqm	
<b>ii) Plastic Mulch Sheet</b>			
1.	Plastic Mulch Sheet		
i.	For Plain areas	Ha	
ii.	For Hilly areas	Ha	

फर्म/कम्पनी का नाम .....

फर्म/कम्पनी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर .....

फर्म/कम्पनी की मोहर .....

BS





कार्यालय  
निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड  
राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून

कार्यालय/फैक्स: 0135-2759799

ई-मेल: missionhortiuk@gmail.com

बैवसाईट: shm.uk.gov.in

पत्रांक 491/HMNEH/Antihel net/Plastic Mulch Sheet/2017-18

दिनांक: देहरादून: १७ मई/२०१७

## विज्ञप्ति

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड में संचालित की जा रही Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) के अन्तर्गत हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नार्थ ईस्ट एण्ड हिमालयन स्टेट्स (HMNEH) योजनान्तर्गत एन्टी बर्ड / एन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं/अथवा प्लास्टिक मल्वशीट (Plastic Mulch Sheet) हेतु निर्माणकर्ता फर्मो/कम्पनियों का पंजीकरण किया जाना है। इस हेतु निर्धारित प्रारूप पर बन्द लिफाफे में कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में दिनांक 14.06.2017 को दोपहर 12:00 बजे तक आमन्त्रित किये जाते हैं, जिन्हें विभागीय गठित समिति द्वारा उसी दिन अपराह्न 2:00 बजे खोला जायेगा।

पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप, शर्तें तथा सूची दिनांक 13.06.2017 की सांय 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून से मूल्य ₹2290/- (रुपये दो हजार दो सौ नब्बे मात्र) का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप तथा शर्तें बागवानी मिशन की बैवसाईट [www.shm.uk.gov.in](http://www.shm.uk.gov.in) एवं [www.horticultureutrakhand.org](http://www.horticultureutrakhand.org) से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड प्रारूप को जमा करने हेतु ₹2290/- (रुपये दो हजार दो सौ नब्बे मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के नाम देय हो, संलग्न करना होगा।

(बी०एस० नेगी)

निदेशक, बागवानी मिशन

30